क्रम-संख्या—92 (क)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(समान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 फरवरी, 1991

माघ 18, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—4

संख्या 1648/47—का—4—90—48—79

लखनऊ, 7 फरवरी, 1991

अधिसूचना

सा० प० नि०—9

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।

अध्यारोही प्रभाव

2—इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

3—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,—

(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ग) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी पृथक् इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(छ) "धारणाधिकार" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार या हक से है,

(ज) "विहित" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा, विहित से है।

(झ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है।

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के सम्वर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

स्थायीकरण जहां आवश्यक है

4–(1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा :–

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो,

(दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन,

(तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण:–इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए, या किसी पद पर, जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाय तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है

5–(1) स्थायीकरण तब आवश्यक नहीं होगा, जब कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात् नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गए, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते।

(3) जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुँचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त है तो वह यह

घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।

(4) जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहां नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय।

दृष्टान्त–(1) ''लेखपाल सेवा नियमावली'' में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत सीधी भर्ती है। ''क'' लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ''क'' को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा।

(2) ''ख'' तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982, के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। ''ख'' को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले मद पर स्थायी करना होगा।

(3) ''ग'' को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और ''घ'' को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स, 1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। ''ग'' और ''घ'' दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोतों में से सीधी भर्ती एक स्रोत है।

(4) (ङ) सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। ''ङ'' को पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत प्रोन्नति है।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात् उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है ''च'' एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम-5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आएगा और ''च'' को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियम इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

वे पद जिन पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

6–ये नियम वहां लागू नहीं होंगे जहां नियुक्तियां उन अधिष्ठानों के पदों पर की जाएं, जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हों, जैसे कि समितियां, जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।

धारणाधिकार रखने का अधिकार

7–ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया गया हो या जहाँ परिवीक्षा विहित नहीं है। वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो, यथास्थिति, यह समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।

व्यावृत्ति

8–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1648/XLVII-Ka-4-90-48-79, dated February 7, 1991 :

No. 1648/XLVII-Ka-4-90-48-89
Dated Lucknow, February 7, 1991

IN exercise of the powers, conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH STATE GOVERNMENT SERVANTS CONFIRMATION RULES, 1991

Short title, commencement and Application

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official *Gazette*.

(3) They shall apply to all persons holding a civil post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and who are under the rule making control of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

Over riding effect

2. The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(a) "Appointing Authority" in relation to any post or service means the authority empowered to make appointment to such post or service under the relevant service rules executive or the instructions issued by the Government;

(b) "Constitution" means the Constitution of India ;

(c) "Cadre" means the strength of a service or part of service sanctioned as a separate unit;

(d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) "Government Servant" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;

(g) "Lien" means the right or title of a Government Servant to hold substantively a regular post, whether permanent or temporary either immediately or on termination of the periods of absence;

(h) "Prescribed" means prescribed by the rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution or by executive instructions issued by the Government in respect of a particular service;

(i) "Service" means the service as defined in the relevant service rule or the executive instructions issued by the Government from time to time;

(j) "Substantive appointment" means an appointment not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rule and if there were no rule, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

Confirmation where necessary

4. (1) Confirmation of a Government servant shall be made only on the post on which he is substantively appointed (i) through direct recruitment or, (ii) by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment or, (iii) by promotion if the post belongs to a different Service.

(2) Such confirmation shall be made :—

(i) against a post, whether permanent or temporary, on which any other person does not hold a lien;

(ii) subject to the fulfilment of the conditions of confirmation laid down in the relevant service rules, or executive instructions issued by Government, as the case may be;

(iii) formal order shall be necessary to be issued by the appointing authority with regard to confirmation;

Explanation—Notwithstanding the fact that a Government servant is confirmed anywhere else, if he is directly recruited on any post, or is promoted to a post, where direct recruitment is one of the sources of recruitment, he will have to be confirmed thereon.

Confirmation where not necessary

5. (1) Confirmation will not be necessary if a Government servant is promoted, on a regular basis, after following the prescribed procedure to a post in the cadre where promotion is the only source of recruitment.

(2) On promotion to a post referred to in sub-rule (1), the Government servant will have all the benefits that a person confirmed in that grade would have if no probation had been prescribed.

(3) Where probation is prescribed the appointing authority shall on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the Government servant himself and in case the conclusion is that the Government servant is fit to hold the higher grade, he will issue an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If the appointing authority considers that the work and conduct of the Government servant concerned has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation in the manner prescribed.

(4)Where confirmation on a lower feeding post is prescribed as a necessary condition for eligibility for promotion to a higher post, a person confirmed on the lowest post under sub-rule (1) of rule 4 shall be eligible for promotion to the higher post and his confirmation on the lower feeding post shall not be necessary if his work and conduct on that post has been satisfactory.

Illustrations

(1) In the "Lekhpal Service Rules" direct recruitment is the only source of recruitment to the post of Lekhpal "A" is appointed as Lekhpal through direct recruitment. "A" will have to be confirmed on the said post, under sub-rule (1) of rule-4.

(2) "B" a Government servant confirmed on the post of Tehsildar is promoted under the provisions of the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Rules, 1982, to a post in the Ordinary grade in Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) "B" will have to be confirmed again, under sub-rule (1) of rule-4, on the latter post.

(3) "C" is appointed as an Assistant Engineer in the Irrigation Department through direct recruitment and "D" is promoted to the post of Assistant Engineer against promotion quota under the provisions of United provinces Services of Engineers Class II (Irrigation Branch), Rules, 1936. Both "C" and "D" will have to be confirmed on the post of Assistant Engineer because direct recruitment is one of the sources of recruitment to the post of Assistant Engineer.

(4) "E" confirmed Assistant Engineer in the Irrigation Department is promoted to the post of Executive Engineer in accordance with the executive instruction issued by the Government. It will not be necessary to confirm "E" on the post of Executive Engineer again because promotion is the only source of recruitment to the post of Executive Engineer.

(5) The post of Upper Division Assistant in Uttar Pradesh Secretariat belongs to the Ministerial service. The post of Section Officer belongs to a different service namely the Uttar Pradesh Secretariat Service. "F" a confirmed Upper Division Assistant will have to be confirmed, again on promotion to the post of Section Officer, under sub-rule (1) of rule-4. On further promotion to the post of Under Secretary and other higher posts, his case will be covered by sub-rule (1) of rule-5 and "F" will not have to be confirmed again, on the posts in higher grades.

(6) Under the Uttar Pradesh Secretariat Service Rules, 1983, only a confirmed Under Secretary is eligible for promotion to the post of Deputy Secretary in the Uttar Pradesh Secretariat Service. The service rules containing the above provision will be deemed to have been amended under sub-rule (4) of rule 5 of these rules to the extent that confirmation will not be necessary for such eligibility for promotion.

Posts to which these rules shall not apply

6. These rules shall not apply where appointments are made against post under establishment, which are created for definite and purely temporary periods such as Committees, Commission of Enquiry, Organisations created for meeting a particular emergency which is not expected to last for more than a few years, posts created for projects for specified periods and purely temporary organisations.

Right to hold a Lien

7. A Government Servant who is confirmed on a post under sub-rule (1) of rule-4 or who has been promoted to a higher post and declared under sub-rule (3) of rule-5 of these rules, as having completed the probation prescribed or who has been promoted on a regular basis, to a higher post where no probation is prescribed, as the case may be, shall be deemed to hold a lien on that post.

Savings

8. Nothing in these rules shall effect reservation and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
NEERA YADAV,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० नियुक्ति-(592)-2004-2000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।